19/12/18

अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। उन्हे
तीन बार आवाज लगवाई गई। लेकिन प्रार्थी एवं
उनके अधिवक्ता अदालत उपस्थित नही आये।
प्रकरण बहस मे लम्बित चला आ रहा है। लेकिन
आज दिनांक तक बहस न कर समय लेते आ रहे है
ऐसी स्थिति मे प्रकरण अदम तकमील एवं अदम
हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता
है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से होकर
दाखिल दफ्तर की जावे।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.23 16:14:56 IST
Reason: SelfAttested